उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–8
संख्या /2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20
देहरादूनः: दिनांकः: 16 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

चूँकि, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 55 के अनुसार, परिषद् की सिफारिशों पर, सरकार, अधिसूचना द्वारा, संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां) अधिनियम, 1947 (1947 का 46) के अधीन अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र संगठन के किसी विशिष्ट अभिकरण या किसी बहुपक्षीय वित्तीय संस्था और संगठन को, विदेशों के वाणिज्यिक दूतावासों या राज दूतावासों को और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को, जिसे इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, विनिर्दिष्ट कर सकेगी (जिन्हें इस अधिसूचना में इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट व्यक्ति कहा गया है), जो ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनके द्वारा प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के अधिसूचित प्रदायों पर संदत्त कर के प्रतिदाय का दावा करने के हकदार होंगे ;

चूँकि, राज्य सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर नियम, 2017 द्वारा, अधिसूचना सं0 508/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 तारीख 28 जून, 2017 और अधिसूचना सं0 288/2018 /4(120)/XXVII(8)/2018/CT-14 तारीख 28 मार्च, 2018 द्वारा अन्तिम बार यथासंशोधित, के माध्यम से, शर्तें और निबंधन अधिकथित किए हैं;

चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (2) के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथा अधिसूचित विनिर्दिष्ट व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के हकदार होंगे, वे ऐसे प्रतिदाय के लिए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, उस तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से छह मास की समाप्ति के पूर्व आवेदन कर सकेंगे ;

चूँकि, उक्त अधिनियम की धारा 55 के अधीन प्रतिदाय का दावा फाइल करने की सुविधा अभी हाल ही में सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है ;

चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को, व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, जो अधिकारिता वाले कर प्राधिकारी को, यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप और रीति में, ऐसी तिमाही के, जिसमें ऐसा प्रदाय प्राप्त किया था, अंतिम दिन से अठारह मास की समाप्ति से पूर्व माल या सेवाओं या दोनों के आवक प्रदायों पर उनके द्वारा संदत्त कर के प्रतिदाय के लिए आवेदन करेंगे ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 मार्च, 2018 से प्रभावी होगी।

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें।

अपर आयुक्त वाणिज्य कर
उत्तराखण्ड, देहरादून

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

DT-GST Notification/ Special Org. of United Nation(02-04-2018)

17/04/2018

508
16/04/2018

सं0 334/2018/5(120)/XXVII(8)/2018/ CT-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से कि वे अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियों, कर अधिवक्ताओं व करदाताओं को अवगत करा दें।

2–निदेशक, मुद्रण एंव लेखन सामग्री उत्तराखण्ड, रूड़की जिला हरिद्वार को अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी प्रतियॉ इस आशय से प्रेषित कि इसे असाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 100–100 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में अविलम्ब उपलब्ध करा दें।

3–विधायी एवं संसदीय कार्य अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

4–अपर सचिव, वित्त–8, उत्तराखण्ड शासन।

5–एन0आई0सी0

6–गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनु सचिव

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 334 /2018/5(120)/XXVII(8)/2018/CT-20 dated 16 April, 2018 for general information.

Government of Uttarakhand
Finance Section-8
No.334/2018/5(120)/ XXVII(8)/2018/CT-20
Dehradun :: Dated:: 16 April, 2018

Notification

Whereas, as per section 55 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify any specialised agency of the United Nations Organisation or any Multilateral Financial Institution and Organisation notified under the United Nations (Privileges and Immunities)Act, 1947 (46 of 1947), Consulate or Embassy of foreign countries and any other person or class of persons as may be specified in this behalf (hereafter in this notification referred to as the specified persons), who shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, be entitled to claim a refund of taxes paid on the notified supplies of goods or services or both received by them;

Whereas, the State Government has laid down the conditions and restrictions for claiming of refund of taxes under section 55 of the said Act vide the Uttarakhand Goods and Services Tax Rules, 2017, vide notification No. 508/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 dated 28 June, 2017 and last amended vide notification No.288/2018/4(120)/ XXVII(8)/2018/CT-14 dated 28th March, 2018;

Whereas, as per sub-section (2) of section 54 of the said Act, the specified persons, as notified under section 55 of the said Act, are entitled to a refund of tax paid by them on inward supplies of goods or services or both, may make an application for such refund, in such form and manner as may be prescribed, before the expiry of six months from the last day of the quarter in which such supply was received;

Whereas, the facility for filing the claim of refunds under section 55 of the said Act has been made available on the common portal recently;

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 148 of the said Act, the Governor, on the recommendations of the Council, is pleased to allow to notify the specified persons as the class of persons who shall make an application for refund of tax paid by it on inward supplies of goods or services or both, to the jurisdictional tax authority, in such form and manner as specified, before the expiry of eighteen months from the last date of the quarter in which such supply was received.

2. This notification shall come into force from 28th day of March, 2018.

(Amit Singh Negi)
Secretary